कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 692 दिनांक:– 21.6.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **220KV D/C उलीझाड़ी–चाईबासा से गुवा तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चाईबासा वन प्रमंडल अन्तर्गत 42.133 हे0 एवं सारण्डा वन प्रमंडल अन्तर्गत 9.118 हे0 कुल 51.251 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबास का पत्रांक 1016 दिनांक 14.06.2019**

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना हैं कि प्रांसगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 51.251 हे0 वनभूमि अपयोजन कां प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की प्रत्येक वन प्रमंडल से पाँच–पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं। इस परियोजना की ट्रान्समिशन लाईन में तीन वन प्रमंडलों क्रमशः चाईबासा एवं सारण्डा एवं कोल्हान वन प्रमंडल से होकर गुजरेगी। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना कुल तीन वन प्रमंडल क्रमशः, चाईबासा सारण्डा एवं कोल्हान वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। कोल्हान वन प्रमंडल में वनभूमि अर्न्तग्रस्त नहीं है।
2. इस परियोजना में कुल 51.251 हे0 वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें 11.648 हे0 जंगल–झाड़ एवं 39.603 हे0 अधिसूचित वनभूमि है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि R.F	अधिसूचित वनभूमि P.F	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	**चाईबासा**	शून्य	30.485	11.648	42.133	0.6
2	सारण्डा	6.42	2.698	शून्य	9.118	0.7
3	कोल्हान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
	कुल –	**6.42**	**33.183**	**11.648**	**51.251**	**0**

4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :– **अनु–XIII**
6. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा एवं सारण्डा वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का मंतव्य दर्ज है। साथ ही अलग–अलग संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

7. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

8. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। अनु0– **XV**

9. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रांन्समिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए चार Volume में संलग्न है। अनु0– **XVII**

10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। **अनु–XVII**

11. दोनों वन प्रमंडलों में Transmission line संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 7557 है, जिनमें से 5130 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। **अनु0– XIV**

12. प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस परियोजना में कुल 278 टावरों का निर्माण किया जायेगा जिसमे मात्र 58 टावर का निर्माण वन भूमि में किया जायेगा। **अनु–TR**

13. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है। **अनु–VI**

14. इस परियोजना में प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 2306 (B) दिनांक 12.09.2017 एवं पत्रांक 2393 (B) दिनांक 23.09.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। **अनु–IX**

15. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम का पत्रांक 201 (B) दिनांक 11.02.2019 द्वारा बैठक की कार्रवाई की प्रति के साथ प्रमाण–पत्र प्राप्त है। **(अनु–X)** F.R.A. **के** संबंध में यह सूचित करना है कि कुल प्रस्तावित 51.251 हे0 वनभूमि के विरूद्ध उपायुक्त द्वारा कुल 51.266 हे0 हेतु प्रमाण–पत्र निर्गत है जिसमें करंजिया गांव में 0.274 के विरूद्ध 0.812 हे0 अर्थात 0.538 हे0 अधिक F.R.A. प्राप्त है इसी प्रकार मौजा दोकटटा में अपयोजित होने वाली कुल 2.498 हे0 के विरूद्ध 1.975 अर्थात 0.523 हे0 का F.R.A. कम है। उपरोक्त पाई गई त्रुटि के निराकरण हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं **U/A** को निर्देश दिया जा रहा है संशोधित F.R.A प्राप्त होने पर अलग से भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु–II & III**

17. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोनों वन प्रमंडलों में कुल 51.251 हे0 के दो गुणे अर्थात 102.502 हे0 अवकृष्ट वन भूमि के विरूद्ध कुल 103 हे0 का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0सं0	**वन प्रमंडल का नाम**	**मौजा का नाम**	**थाना / थाना नं0**	**प्लॉट सं0**	**चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे0**
1	चाईबासा	महुदी0पी0एफ	कोल्हान / 744	122,240,241,242,243,244, 245,246,318,1432,1434	103.00
				कुल :–	**103.00**

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। **अनु– XV, XVI**

18. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है, परन्तु सिंहभूम गज आरक्ष्य क्षेत्र में अवस्थित है।

19. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

20. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सशर्त अनुशंसा की गई है, इससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

दोनों वन प्रमंडलों से संबंधित प्रस्ताव की तीन–तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **51.251** हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

21.6.19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

21.6.19

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

220 KV D/C ULIJHARI, CHAIBASA TO GUA TRANSMISSION LINE 51.215 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 51.215 ha. Forest land.

Date :- 21.06.2019

Place :- Ranchi.

Signature

21.6.2019

(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forest-cum-Executive Director Wasteland Development Board Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)